भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 945

उत्तर देने की तारीख 10 फरवरी, 2025

सोमवार, 21 माघ 1946 (शक)

जेएसएस योजना के अंतर्गत कौशल विकास/व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम

945. श्री निलेश ज्ञानदेव लंके: श्रीमती सुप्रिया सुले: श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटील:

डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हे: प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़: श्री संजय दिना पाटील:

श्री बजरंग मनोहर सोनवणे: श्री भास्कर मुरलीधर भगरे:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) योजनाओं के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रकारों का ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों में प्रशिक्षित लाभार्थियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) जेएसएस योजना किस प्रकार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं जैसे हाशिए पर रहने वाले समुदायों की समावेशिता को सुनिश्चित करती है;

(ग) क्या सरकार ने ग्रामीण और अर्ध-शहरी आजीविका पर जेएसएस योजना के प्रभाव का कोई मूल्यांकन किया है; और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है;

(घ) विगत तीन वर्षों में जेएसएस योजना के अंतर्गत महिला लाभार्थियों का प्रतिशत कितना है;

(ङ) क्या महिलाओं के बीच कौशल विकास और उद्यमिता के लिए कोई विशेष कार्यक्रम बनाए गए हैं, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या जेएसएस ने प्रशिक्षुओं के लिए रोजगार के अवसरों में सुधार के लिए उद्योगों या निजी क्षेत्र की संस्थाओं के साथ सहयोग किया है और यदि हां, तो ऐसी साझेदारियों का ब्यौरा क्या है और उनके परिणाम क्या रहे हैं;

(छ) क्या सरकार के पास अविकसित या आकांक्षी जिलों में और अधिक जेएसएस योजनाएं स्थापित करने की कोई योजना है, और यदि हां, तो तत्संबंधी प्रस्तावित समय-सीमा का ब्यौरा क्या हैं; और

(ज) सरकार द्वारा जेएसएस योजना को उभरते बाजार की मांगों और डिजिटल साक्षरता और ई-कॉमर्स जैसे नए युग के कौशल के साथ ताल-मेल बैठाने के लिए उठाए जा रहे अन्य कदम क्या हैं?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)
(क) और (ख) : जन शिक्षण संस्थान (जे एस एस) योजना, जिसे शुरूआत में वर्ष 1967 में श्रमिक विद्यापीठ (एस वी पी) के रूप में प्रारंभ किया गया था, का लक्ष्य भारत सरकार से 100 प्रतिशत अनुदान के साथ पंजीकृत सोसाइटियों (एन जी ओ) के माध्यम से लाभार्थी के द्वार तक एक अनौपचारिक तरीके से कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध करवाना है । जे एस एस लाभार्थियों को 28 राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क के अंतर्गत स्तर 2 और 3 के रोज़गारों के लिए प्रदान करता है । जे एस एस योजना के अंतर्गत, 16,95,617 लाभार्थियों को गत् तीन वर्षों अर्थात् वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2023-24 तक के दौरान प्रशिक्षित किया गया है । वर्ष-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

गत् तीन वर्षों के दौरान प्रशिक्षित किए गए लाभार्थियों की कुल संख्या		
1	वित्त वर्ष 2021-22	4,61,996
2	वित्त वर्ष 2022-23	7,26,284
3	वित्त वर्ष 2023-24	5,07,337
	योग	16,95,617

इस योजना के लक्षित लाभार्थी असाक्षर, नव साक्षर और बुनियादी स्तर की शिक्षा प्राप्त व्यक्ति, 15-45 वर्षों की आयु वर्ग में 12वीं कक्षा तक के स्कूली पढ़ाई छोड़ चुके व्यक्ति हैं । दिव्यांगजनों तथा अन्य योग्य मामलों में, विशेष रूप से महिलाओं को आयु में रियायत दी जाती है । जे एस एस योजना यह सुनिश्चित करती है कि समाज के हाशिए पर खड़े समुदायों जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति और महिलाओं को शामिल किया जाए ।

(ग): जे एस एस योजना प्रभाग ने वि व 2020-21 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (आई आई पी ए) द्वारा इस योजना का एक समग्र प्रभाव आकलन सर्वेक्षण करवाया और आई आई पी ए ने नवंबर 2020 में एम एस डी ई को रिपोर्ट प्रस्तुत की । इस योजना के संबंध में आई आई पी ए द्वारा की गई सिफारिशें निम्नानुसार हैं : –
"79% महिला प्रतिभागिता, 50.5% ग्रामीण भागीदारी, बढ़ी आजीविका के लिए रोज़गार में 73.4% परिवर्तन, प्रत्येक लाभार्थी की औसत आय में 89.1% परिवर्तन, जे एस एस द्वारा 85.7% लाभार्थियों का जुटाव पर विचार करते हुए अध्ययन दल जन शिक्षण संस्थान योजना को जारी रखे जाने की सिफारिश करता है । ''

यह एक समय की कसौटी पर परीक्षित योजना है जो वर्ष 1967 से चल रही है । एम एस डी ई के अंतर्गत कदाचित एकमात्र अनौपचारिक योजना है । यह योजना शैक्षिक रूप से पिछड़े (अर्थात् असाक्षर, नव साक्षर और बुनियादी स्तर की शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों) और सामाजिक रूप से गैर लाभान्वित वर्गों (महिलाएं, अनु.जा., अनु. ज. जा., अ. पि. व., लघु संख्यक आदि) की मांग को पूरा करती है । यह योजना ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में द्वार पर कौशल प्रशिक्षण सेवाएं प्रदान करती है । उपरोक्त अध्ययन के परिणाम यह संकेत करते हैं कि इस योजना ने उन लाभार्थियों की घरेलू आय को लगभग दो गुना करने में सहायता की है जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद रोज़गार हासिल किया है अथवा स्व रोज़गारी बने हैं

। स्व रोज़गार की ओर उन्मुख इस योजना का फोकस आत्म निर्भर भारत अभियान के समरूप भी है ।"

(घ): गत् तीन वर्षों के दौरान अर्थात् वित्त वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक जे एस एस योजना प्रभाग के अंतर्गत प्रशिक्षित महिला लाभार्थियों का प्रतिशत **80.39 %** है । .

(ड.): जे एस एस योजना इस प्रकार के कोर्स करवा रही है जिनके लिए महिलाओं द्वारा प्राथमिकता दी जा रही है जैसे कि ब्यूटी केयर असिस्टैन्ट, हाथ की कढ़ाई सहायक - (फुलकारी / चिकनकारी/ कश्मीरी/ ज़री ज़रदोज़ी / कान्था), ब्यूटी केयर असिस्टैन्ट, असिस्टैन्ट ड्रैस मेकर आदि । इन कोर्सों में महिला लाभार्थियों का सबसे अधिक दाखिला होता है ।

(च): प्रत्येक जे एस एस पर एक आजीविका एकक बनाया गया है, जिसकी अध्यक्षता जे एस एस के कार्यक्रम अधिकारी करते हैं और अन्य स्टॉफ सदस्यों द्वारा समर्थन दिया जाता है । यह एकक प्रशिक्षित जे एस एस लाभार्थियों, विशेष रूप से महिला लाभार्थियों को उनकी उद्यमशीलता तथा आजीविका को बढ़ावा देने के लिए स्वयं सहायता समूहों / संयुक्त जवाबदेही समूहों के साथ जोड़ता । आजीविका एकक आजीविका अवसरों को बढ़ावा देने हेतु उन्हें उपयुक्त राष्ट्रीय / राज्य पोर्टल से भी जोड़ता है, बाज़ार की मांग के अनुसार संबंधित कौशलों में स्व/मेहनताना रोज़गार प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए लाभार्थियों को परामर्शी समर्थन उपलब्ध करवाता है और जे एस एस लाभार्थियों, ख़ासतौर पर महिलाओं को वित्तीय सहायता / ऋण की योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए नियोजकों, बैंकों / माइक्रो फाइनैन्स संस्थाओं/राज्य सरकारों / नाबार्ड के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करता है ।

(छ): मंत्रालय का विजन देश के प्रत्येक जिले में चरणबद्ध तरीके से एक जे एस एस की स्थापना करने का है । सभी राज्यों / संघ क्षेत्रों के एस्पीरेशनल जिलों, पिछड़े जिलों, वामपंथी अतिवाद से प्रभावित जिलों, पहाड़ी/द्वीपीय क्षेत्रों और सीमावर्ती क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाती है । नए जे एस एस की स्थापना के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है ।

(ज): जे एस एस में करवाए जा रहे कोर्स तकनीकी और नियोजनीयता कौशलों का एक मिश्रण हैं । यह कोर्स लाभार्थियों को लाभप्रद स्व/मेहनताना नियोजन के लिए उपयोग में लाए जाने वाले कौशलों के सभी मिश्रण को सीखने में सक्षम बनाते हैं । कोर्सों का चयन डोर टू डोर सर्वेक्षणों के माध्यम से स्थानीय बाज़ार मांग और लाभार्थियों की मांग के आकलन के आधार पर किया जाता है । एकरूपता और कौशल मानकों को बनाए रखने के लिए सभी कोर्सों को एन एस क्यू एफ मानकों के समान स्तर पर तैयार किया जाता है । डीजिटल लिटरेसी और नियोजनता कौशलों को भी कोर्स के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है । स्थानीय पारंपरिक कौशलों पर कोर्सों को भी बढ़ावा दिया जाता है ।

*****